पंजीयन क्रमांक 30738/16

सिस्टम परिवर्तन अभियान

(Crusaders Against Corruption)

(Compaign For Administrative, Judicial, Political & Media Accountability- Cum- Reforms)

S.P.A

Flat No. 03, 4th Floor, Muskan Heights, Saraswati Nagar, Jawahar Chowk, Bhopal – 462003

Mob.- 7828287122, 9425193990 (Whatsapp) Email: azadsinghdabas5@gmail.com

आजाद सिंह डबास
IFS
Addl. PCCF (Retd.)
अध्यक्ष
(Anti-Corruption,
Climate change, Social
&
Political Activist)

क्रमांक/1480 भोपाल, दिनांक 05.04.2026

प्रति,

श्री उपेन्द्र जैन
महानिदेशक
आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, मध्यप्रदेश

विषयः- **मध्यप्रदेश की स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (एसईआईएए, सिया) में हुए सैकड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार को दबाने एवं प्रशासनिक अराजकता फैलाने वाले एसीएस पर्यावरण विभाग श्री अशोक बर्णवाल के साथ–साथ तत्कालीन प्रमुख सचिव पर्यावरण श्री नवनीत मोहन कोठारी, तत्कालीन सदस्य सचिव सिया श्रीमती उमा महेश्वरी आर एवं तत्कालीन प्रभारी सदस्य सचिव सिया श्री श्रीमन शुक्ला (04 IAS अधिकारियों) के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने बाबत्।**

(War Against Corruption series - 33)

मध्यप्रदेश में खनिज, उद्योग और बड़े निर्माण प्रोजेक्टस की पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) सिया द्वारा दी जाती है। पर्यावरणीय मंजूरी देने के पूर्व सिया द्वारा विधिवत् बैठकें बुलाई जाती हैं और इनमें विस्तृत चर्चा उपरांत प्रोजेक्टस की मंजूरी दी जाती हैं लेकिन 23 मई 2025 को 237 प्रोजेक्टस की मंजूरी बगैर सिया की बैठक बुलाये ही दे दी गई। ये समस्त (डीम्ड) मंजूरियां तब दी गई जब सिया की मेंबर सेक्रेटरी श्रीमती उमा महेश्वरी आर 22 मई 2025 से मेडीकल छुट्टी पर चली गई। इनके स्थान पर प्रभारी बनाये गये (अस्थायी मेंबर सेक्रेटरी) श्री श्रीमन शुक्ला, जो एप्को के कार्यकारी निदेशक हैं, ने दिनांक 23.05.2025 को प्रभार मिलने के एक दिन बाद ही पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव श्री नवनीत मोहन कोठारी के अनुमोदन के आधार पर यह कार्रवाई की है। उन्होनें इसके लिए ईआईए नोटिफिकेशन 2006 के पैरा–8 की कंडिका 3 का हवाला दिया है, जो नियमानुसार सही नही है।

गौरतलब है कि दिनांक 7 जनवरी 2025 को केन्द्र सरकार ने सिया के चेयरमेन एवं सदस्यों की नियुक्ति की है। जनवरी 2025 से मार्च 2025 तक सिया की कोई बैठक नही हुई, अप्रैल में सिर्फ 2 बैठकें हुई, मई माह में 14 बैठकें शेड्यूल की गई लेकिन सिर्फ 1 बैठक हो सकी है। 23 मई को बगैर कोई बैठक बुलाये ही 237 प्रकरणों की स्वीकृती जारी कर दी गई। मध्यप्रदेश सिया के चेयरमेन श्री शिव नारायण सिंह चौहान ने उपरोक्त समस्त स्वीकृतियों को गैर कानूनी बताया है। श्री चौहान ने दिनांक 26.05.2025 को इस पूरे घोटाले की विस्तृत रिपोर्ट सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी है जिसमें उन्होनें नियमो के उल्लंघन एवं भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उन्होनें लेख किया है कि उनके द्वारा 17 मार्च 2025 से 15 मई 2025 के बीच बैठक बुलाने हेतु 10 बार मेंबर सेक्रेटरी को नोटशीट लिखी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, मुख्य सचिव और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव को इस सबंध में 22 पत्र भी लिखे हैं। इन पत्रों में उन्होनें मेंबर सेक्रेटरी की मनमानी और बैठक न बुलाने की शिकायत की है लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई।

उपरोक्त अनियमितताओं के सबंध में श्री चौहान द्वारा दिनांक 09.07.2025 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश को भी लेख किया गया है। उन्होनें लेख किया है कि सदस्य सचिव, सिया म.प्र एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग म.प्र शासन द्वारा जानबूझकर सोची–समझी रणनीति के तहत खनिज माफिया एवं पर्यावरण विरोधियों से आपराधिक गठबंधन कर आपराधिक षडयंत्र रच करके सिया की बैठके आयोजित नही होने दी जा रही हैं। सदस्य सचिव सिया एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग मिलकर भारत सरकार ई.आई.ए अधिसूचना 2006 के पैरा 8 (3) की गलत व्याख्या कर, पर्यावरण कानून का उल्लघंन करके, सिया को बायपास करके ईसी की अनुमतियां Pick & Choose के आधार पर जारी कर रहे हैं। सदस्य सचिव सिया एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग ने मिलकर ईसी की अनुमति के पत्र में कूट रचना कर असत्य रूप से लिखा है कि SEIAA द्वारा Deemed Approval माना जा कर पर्यावरण अनुमति दी जाती है। अध्यक्ष द्वारा बैठक का दिनांक एवं समय निर्धारित कर देने की बावजूद भी बैठक की सूचना जारी नहीं

करना, Agenda का अनुमोदन प्राप्त नहीं करना, Agenda तैयार करने में भारत सरकार के निर्देशों का उल्लघंन करना, SEIAA की बैठकों के निर्णयों को बदल देना, आवेदक का नाम, पता बदल देना, खनिज की मात्रा एवं नाम बदल देना, जिन प्रकरणों को SEIAA द्वारा ईसी स्वीकृत कर दी गई है उनमें ईसी जारी नहीं करना, जिन प्रकरणों को Appraisal के लिए SEIAA के समक्ष ही प्रस्तुत नहीं किया गया उनमें स्वयं सदस्य सचिव एवं प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग द्वारा ईसी जारी कर देना, कानून के उल्लंघन की पराकाष्ठा है। यह अराजकता की स्थिति है। यह स्वेच्छाधारित, निरंकुशता एवं अंहकार की भी पराकाष्ठा है। श्री चौहान ने सदस्य सचिव, प्राधिकरण द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं एवं कदाचरण के सबंध में 50 से अधिक पत्रों के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया है। उनके द्वारा मुख्य सचिव से अनुरोध किया गया है कि "कृपया दोषी अधिकारियों को तत्काल निलंबित कर, अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं उनके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने का कष्ट करे जिससे अराजकता की स्थिति समाप्त हो कर कानून का राज स्थापित हो।" श्री चौहान के पत्र की छाया प्रति संलग्न है। **(कृपया देखे परिशिष्ट–1)**

विवाद बढ़ने पर तत्कालीन प्रमुख सचिव पर्यावरण विभाग श्री कोठारी द्वारा सिया के चेयरमेन का ऑफिस लॉक करवा दिया जिसके फलस्वरूप दिनांक 23.07.2025 को प्रमुख सचिव, पर्यावरण श्री नवनीत मोहन कोठारी एवं सदस्य सचिव श्रीमती उमा महेश्वरी आर का शासन द्वारा स्थानांतरण कर दिया गया। इस बीच मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया। सिया के बिना अप्रेजल के जारी हुई 237 पर्यावरणीय मंजूरियों को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण में नया घटनाक्रम तब सामने आया जब पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव पद से हटाये गये आईएएस अधिकारी श्री नवनीत मोहन कोठारी ने इस मामले में अपना पक्ष रखने के लिए इन्टरवेंशन एप्लीकेशन दायर कर दी। दिनांक 25 अगस्त 2025 को सुनवाई के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य शासन को जवाब नही देने के लिए कड़ी फटकार लगाई।

मध्यप्रदेश स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी (SEIAA) में हो रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार की जांच कराने हेतु मेरे द्वारा पत्र क्रमांक एसपीए/1085 दिनांक 08.06.2025 से सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार को लेख किया गया जिसकी प्रतिलीपि मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश एवं मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश को दी गई। पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। **(कृपया देखे परिशिष्ट–2)**। सिया में हुए भ्रष्टाचार के दोषी आईएएस अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने हेतु मेरे द्वारा पुनः पत्र क्रमांक एसपीए/1100 दिनांक 12.07.2025 से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश को लेख किया गया जिसकी प्रतिलीपि सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार एवं मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश को दी गई। पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। **(कृपया देखे परिशिष्ट–3)**। सिया में हुए भ्रष्टाचार के दोषी आईएएस अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने हेतु मेरे द्वारा पुनः पत्र क्रमांक एसपीए/1130 दिनांक 31.08.2025 से मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश को लेख किया गया जिसकी प्रतिलीपि सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार एवं मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश को दी गई। पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। **(कृपया देखे परिशिष्ट–4)**। सिया में हुए भ्रष्टाचार के दोषी आईएएस अधिकारियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाने हेतु मेरे द्वारा पत्र क्रमांक एसपीए/1230 दिनांक 21.10.2025 से पुनः मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश को लेख किया गया जिसकी प्रतिलीपि सचिव, पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश एवं अपर मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग श्री अशोक बर्णवाल को दी गई। पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। **(कृपया देखे परिशिष्ट–5)**। मुख्यमंत्री मध्यप्रदेश, मुख्य सचिव मध्यप्रदेश एवं अपर मुख्य सचिव पर्यावरण विभाग द्वारा मेरे पत्रों पर की गई कार्रवाई की कोई जानकारी नही दी गई लेकिन सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के कार्यालय से उनके पत्र क्रमांक दिनांक 14.01.2026 से जानकारी दी गई कि मेरे द्वारा उठाया गया मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रिट पीटीशन क्रमांक 689/2025 विजय कुमार दास वर्सेज भारत सरकार के अंतर्गत विचाराधीन है। भारत सरकार के पत्र की छायाप्रति संलग्न प्रेषित है। **(कृपया देखे परिशिष्ट–6)**।

अत्यंत हैरानी की बात है कि पर्यावरण विभाग के एसीएस श्री अशोक बर्णवाल द्वारा दिनांक 27.03.2026 को एक पत्र सिया को लिखा गया है जिसमें पिछले साल 23.05.2025 को जारी डीम्ड पर्यावरण मंजूरियों को उनके द्वारा बगैर किसी जांच के ही सही ठहराया गया है। श्री बर्णवाल ने सिया के सदस्य सचिव को निर्देश दिया है कि इन डीम्ड पर्यावरणीय मंजूरियों के टीओआर (टर्म ऑफ रेफरेंस) पर उसी तरह विचार किया जाये जिस तरह अन्य टीओआर प्रकरणों में किया जाता है। श्री बर्णवाल द्वारा यह आदेश तब जारी किया गया है जब 237 डीम्ड पर्यावरणीय मंजूरियों की वैधानिकता को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण लंबित है। यहां यह भी गौरतलब है कि 02 माह पूर्व दिनांक 03.02.2026 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की भोपाल बैंच इन्हीं प्रकरणों से संबधित डीम्ड आधार पर जारी पन्ना जिले की रेत खनन से जुड़ी 09 पर्यावरणीय मंजूरियों को शून्य घोषित कर चुका है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल

डीम्ड पर्यावरणीय मंजूरियों को जारी करने की प्रकिया को भी अवैध ठहरा चुका है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि सामूहिक निर्णय और उचित अप्रेजल के बिना जारी किये गये ऐसे प्रशासनिक आदेश कानून की नजर में अवैध हैं और पर्यावरण नियमों का उल्लंघन है। एनजीटी ने यह भी टिप्पणी की है कि यह अधिकारियों द्वारा उच्च पदों का दुरूपयोग और माइनिंग लॉबी को लाभ पंहुचाने का क्लासिक उदाहरण है। केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय भी एक फैक्ट फाइडिंग कमेटी बनाकर इस मामले की अभी जांच कर रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण के लंबित रहते, एनजीटी द्वारा दिये गये निर्णय एवं की गई टिप्पणी और केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की फैक्ट फाइडिंग कमेटी की जांच के पूर्ण होने के पूर्व ही पर्यावरण विभाग के एसीएस श्री बर्णवाल द्वारा सिया के सदस्य सचिव को इन प्रकरणों में दिनांक 23.05.2025 को दी गई डीम्ड अनुमतियों को सही ठहराना अत्यंत आपत्तिजनक है। इस मामले में भारी भ्रष्टाचार की बू आ रही है अन्यथा ऐसी क्या मजबूरी थी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण के लंबित रहते, एनजीटी के निर्णय की स्पष्ट अवेहलना एवं केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय की फैक्ट फाइडिंग टीम की जांच पूर्ण होने के पूर्व ही वे ऐसा आदेश जारी करते।

उपरोक्त प्रकरण मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों द्वारा की जा रही मनमानी/भर्राशाही/भ्रष्टाचार/प्रशासनिक अराजकता का ज्वलंत उदाहरण है। **आपसे अनुरोध है कि पर्यावरणीय मंजूरी देने में इतने बड़े स्तर पर हुए भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए श्री अशोक बर्णवाल, श्री नवनीत मोहन कोठारी, श्री श्रीमन शुक्ला एवं श्रीमती उमा महेश्वरी आर के विरूद्ध तत्काल आपराधिक प्रकरण दर्ज करने का कष्ट करें ताकि एक ओर जहां इन सफेदपोशों द्वारा किये जा रहे करोड़ों के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ हो सके, वहीं दूसरी ओर प्रदेश के पर्यावरण की रक्षा सुनिश्चित हो सके।** मैं यहां यह भी लेख करना चाहता हूं कि पर्यावरणीय नियमों का अगर इसी तरह उल्लंघन होता रहा तो पर्यावरणीय बर्बादी को रोका नही जा सकता। कल रात्रि में ही कुछ जिलों में हुई भारी ओलावृष्टि पर्यावरण से छेड़छाड़ का ही नतीजा है। आशा है कि प्रदेश हित में आप इस दिशा में उचित कदम अवश्य उठायेंगे।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

5/4/26

(आजाद सिंह डबास)
अध्यक्ष, सिस्टम परिवर्तन अभियान

क्रमांक/1481

भोपाल, दिनांक 05.04.2026

प्रतिलीपिः–

1. **सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,** इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड़, अलीगंज, नई दिल्ली –110003 की ओर मेरे पत्र क्रमांक/1085 दिनांक 08.06.2025, पृ.पत्र क्रमांक/1101 दिनांक 12.07.2025, पृ.पत्र क्रमांक/1131 दिनांक 31.08.2025 एवं पृ.पत्र क्रमांक/1231 दिनांक 21.10.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रकरण के विचाराधीन रहते श्री बर्णवाल द्वारा डीम्ड मंजूरियों को सही ठहराने के लिए उनके विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करने हेतु मुख्य सचिव मध्यप्रदेश को लेख करने हेतु अनुरोध है।

2. **श्री अनुराग जैन, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश** की ओर मेरे पृ.पत्र क्रमांक/1086 दिनांक 08.06.2025 पृ.पत्र क्रमांक/1101 दिनांक 12.07.2025, पृ.पत्र क्रमांक/1131 दिनांक 31.08.2025 एवं पृ.पत्र क्रमांक/1231 दिनांक 21.10.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित कर त्वरित जांच कराने हेतु अनुरोध है। भ्रष्टाचार के इस अति गंभीर मामले में त्वरित जांच नही होती है तो इस प्रकरण को सक्षम न्यायालय में ले जाने के अतिरिक्त कोई विकल्प नही बचेगा।

3. **श्री अशोक बर्णवाल, अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, मध्यप्रदेश** की ओर मेरे पृ.पत्र क्रमांक/1231 दिनांक 21.10.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

5/4/26

(आजाद सिंह डबास)
अध्यक्ष, सिस्टम परिवर्तन अभियान